



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1131]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2003/अग्रहायण 28, 1925

No. 1131]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2003/AGRAHAYANA 28, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1443(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंडा उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा मानीटरिंग) नियम, 1997 में संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंडा उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा मानीटरिंग) (संशोधन) नियम, 2003 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- अंडा उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा मानीटरिंग) नियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के भाग-I में, नियम 4 के उपनियम 4.21 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

“4.22 परिषद, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) या किसी अन्य अनुमोदित संगठन के अवशिष्ट मानीटरिंग के लिए सहायता ले सकती है।”

- मूल नियम के भाग-II में नियम 4 के उपनियम 4.7 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा :—

“4.8 परिषद, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) या किसी अन्य अनुमोदित संगठन से अवशिष्ट मानीटरिंग के लिए सहायता ले सकती है।”

[फा. सं. 6/1/95-ईआईएण्डईपी]

एम.वि.पि.सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ. 2078 तारीख 4 अगस्त, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) तारीख 23 अगस्त, 1997 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2003

S.O. 1443(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) (Amendment) Rules, 2003.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Part-I, of the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997 (hereafter referred to as the principal rules), in rule 4, after sub-rule 4.21, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“4.22 The Council may seek the assistance of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) or any other organisation approved by it for residue monitoring.”
3. In Part-II, of the principal rules, in rule 4, after sub-rule 4.7, the following sub-rule shall be inserted :—

“4.8 The Council may seek the assistance of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) or any other organisation approved by it for residue monitoring.”

[F. No. 6/1/95-El&EP.]

M.V.P.C. SASTRY, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published *vide* S.O. 2078 dated the 4th August, 1997 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd August, 1997.